तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 48/2020 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2020/00093)

अनवान:

1. साबुदीन पुत्र सरफुदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. गजानन्द पुत्र मातुराम जाति ब्राह्मण निवासी स्वामी धर्मशाला वाली रोड़ सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ श्रीगंगानगर।
3. उप पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. जीतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी अर्जनसर रोड़ तहसील जिला काकूल पंजाब।
5. अमरजीत सिंह पुत्र ज्ञानसिंह निवासी अर्जनसर रोड़ तहसील जिला काकूल पंजाब।
6. अर्जनसिंह पुत्र अमीर सिंह निवासी अर्जनसर रोड़ तहसील जिला काकूल पंजाब।

15.4.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह पत्रावली राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नंबर 1(17)राजस्व/2019/112 दिनांक 17.10.19 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से अग्रिम सुनवाई हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई है। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा आगामी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी करने के आदेश दिये। अपीलांट को दिनांक 02.08.2024 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व स्वयं अथवा जरिये विधिक प्रतिनिधि इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, किन्तु नोटिस दिनांक 02.08.2024 जारी हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई। बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सरुपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर